



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 473 राँची, मंगलवार, 17 श्रावण, 1945 (श०)
8 अगस्त, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

आदेश

16 जून, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-32/2020 का.- 3500--श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-852/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला के विरुद्ध अनुमंडल मुख्यालय
चैनपुर में आवासित नहीं रहने, अनधिकृत रूप से अपने नियंत्रणाधीन क्षेत्र से बाहर जाकर वाहनों
की चेकिंग एवं जुर्माना वसूली करने संबंधी आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं०-6313
(HRMS), दिनांक 01.07.2020 द्वारा इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा विभागीय
संकल्प सं०-841(HRMS), दिनांक 28.01.2021 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित
की गई ।

2. श्री प्रकाश द्वारा निलंबन मुक्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No. 2194/2020 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पारित आदेश एवं निलंबन से मुक्त करने संबंधी उनसे प्राप्त अभ्यावेदन, दिनांक 07.04.2021 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-4061, दिनांक 17.08.2021 द्वारा निलंबन मुक्त किया गया।

3. विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-124, दिनांक 11.08.2021 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय विभागीय संकल्प सं०-857(HRMS), दिनांक 24.01.2022 द्वारा श्री प्रकाश के विरुद्ध असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया।

4. श्री प्रकाश के पत्रांक-76, दिनांक 24.02.2023 द्वारा दिनांक 01.07.2020 से 27.09.2021 तक के निलम्बन/प्रभार रहित अवधि को विनियमित करने का अनुरोध किया गया है।

5. इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री प्रकाश दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 17.08.2021 तक निलंबित रहे हैं तथा संबंधित मामले में इनके विरुद्ध दण्ड भी अधिरोपित किया गया है।

अतः श्री सत्य प्रकाश, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनमंडल पदाधिकारी, गुमला के निलंबन अवधि दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 17.08.2021 तक का विनियमन इस शर्त के साथ किया जाता है कि उक्त निलंबन अवधि में इनको जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।
